

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1044 / 2015  
संस्थित दिनांक—03.11.2015  
फाईलिंग क्र.234503012182015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—तीजूलाल पिता अनूपलाल, उम्र—57 वर्ष, जाति ढीमर,  
2—चेता उर्फ चेताराम पिता छतरलाल, उम्र—28 वर्ष, जाति ढीमर,  
3—बटूरा उर्फ फूलचंद, उम्र—37 वर्ष, जाति ढीमर,  
सभी निवासी—ग्राम धुर्वा, थाना परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—11/04/2017 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 324/34, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—23.10.2015 को समय 11:00 बजे ग्राम सिलगी और धुर्वा के बीच फरियादी नोखेलाल राणा को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर, फरियादी को लोकस्थान पर मों—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त तीजू ने फरियादी के बाएं कान में चाकू मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर, फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— प्रकरण में अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक—07.04.2017 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्तगण पर प्रकरण का विचार पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि फरियादी नोखेलाल ने दिनांक—23.10.2015 को थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह ग्राम धुर्वा

रहता है और कृषि का कार्य करता है। दिनांक-23.10.2015 को समय 11:00 बजे, फरियादी अपनी साईकिल से ग्राम सिलगी जा रहा था, जैसे ही वह धुर्वा तालाब के पास पहुंचा, तो अभियुक्त तीजूलाल आया और फरियादी का रास्ता रोककर मादरचोद मछली के पैसे क्यों नहीं देता कहकर अश्लील गालियां देने लगा। उसी समय तालाब के अंदर से अभियुक्त चेता एवं बटूरा आ गए थे एवं दोनों ने फरियादी के दोनों हाथ पकड़ लिये और अभियुक्त तीजूलाल फरियादी से कहने लगा मादरचोद का कान काट देते हैं, मूचा होकर गांव में घूमेगा और अभियुक्त तीजूलाल ने फरियादी के कान को चाकू से काट दिया था। अभियुक्तगण कहने लगे थे कि जान से खत्म कर देंगे। कान कट जाने से फरियादी चिल्लाया, तब आवाज सुनकर फरियादी का पुत्र रविन्द्र, भाई सुरेश आ गए थे। पुलिस थाना परसवाड़ा ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-119/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्तगण पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23.10.2015 को समय 11:00 बजे ग्राम सिलगी और धुर्वा के बीच सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में सह आरोपी तीजू ने फरियादी नोखेलाल के बाएं कान में चाकू मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

6- नोखेलाल राणा अ.सा.1 का कहना है कि घटना न्यायालयीन कथन से 2 वर्ष पूर्व ग्राम धुर्वा की है। घटना के समय साक्षी का अभियुक्तगण से विवाद हुआ था। इस कारण साक्षी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था। मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण फरियादी नोखेलाल राणा ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त तीजू ने फरियादी नोखेलाल राणा के बाएं कान में चाकू मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

8— प्रकरण में अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक स्टील का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट